

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

पत्रांक:- /सा०-२/ XII-577(भाग-२)/2019-20, दिनांक जनवरी, 2022

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अन्तर्गत लक्ष्य के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को सम्बोधित है एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या-101/सैंतीस-2-2019-30(4)/2019 दिनांक 22 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों (संलग्न) की पूर्ति दिनांक 28.02.2022 तक कराने के निर्देश निर्गत हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अन्तर्गत संलग्न पत्रमें दिये गये निर्देश एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निराश्रित गोवंश को सुपुर्द कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(डा० एस०के० मलिक)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक:-107/सा०-२/ XII-577(भाग-२)/2019-20, दिनांक 22 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा० एस० के० मलिक)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास

संख्या-101/सैंतीस-2-2019-30(4)/2019

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 22-जनवरी, 2022

विषय- मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अन्तर्गत लक्ष्य के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है। अग्रेतर शासन के आदेश संख्या-3256/सैंतीस-2-2019-30(04)/2019 दिनांक 08.08.2019 द्वारा मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का प्रारम्भ किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये (लक्ष्य संलग्न) निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- (1) प्रश्नगत योजना में इच्छुक गरीब किसानों/पशुपालकों को प्राथमिकता प्रदान की जाय।
- (2) योजनान्तर्गत सुपुर्दगी संरक्षण केन्द्रों में संरक्षित गोवंश से ही की जाय।
- (3) इच्छुक गरीब किसानों/पशुपालकों के बैंक खातों का विवरण सुपुर्दगी से पूर्व/तत्समय ही प्राप्त कर लिया जाय।
- (4) योजनान्तर्गत भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाय।
- (5) आवंटित किये जा रहे गोवंश का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से सुपुर्दगी के साथ ही उपलब्ध कराया जाय।
- (6) योजना की गार्डफाइल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत निर्धारित उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति दिनांक 28.02.2022 तक सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव
Date: 22-01-2022 14:47:04
Reason: Approved

संख्या- 101(1)/सैंतीस-2-2021तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या-101/सैतीस-2-2019-30(4)/2019 दिनांक 22.01.2022 का संलग्नक

क्रम संख्या	जनपद	सुपुर्दगी में दिए गये गोवंश	न्यूनतम लक्ष्य
1	2	3	4
1	बागलमी	1209	2232
2	जीनपुर	1212	2237
3	गाजीपुर	459	847
4	बदौली	541	999
5	शामली	1330	2455
6	महागनपुर	804	1484
7	मुजफ्फरनगर	1306	2411
8	मधन	732	1351
9	रामपुर	19	45
10	मुगदाबाद	245	452
11	अमरौहा	368	679
12	बिजनौर	440	812
13	मोनमड	348	642
14	संत रविदाम नगर	621	1146
15	मिर्जापुर	504	930
16	हापुर	537	991
17	मेरठ	1006	1857
18	गाज़ियाबाद	600	1108
19	गीतम बुद्ध नगर	1456	2688
20	बुलंदशहर	3063	5654
21	बागपत	616	1137
22	उन्नाव	1522	2810
23	सीतापुर	2494	4604
24	रायबरेली	1070	1975
25	नबनऊ	3526	6509
26	नखीमपुर खीरी	3186	5881
27	हरदोई	3374	6228
28	कानपुर नगर	3160	5833
29	कानपुर देहात	682	1259
30	कन्नौज	1388	2562
31	फर्रुखाबाद	1793	3310
32	इटावा	1116	2060

क्रम संख्या	जनपद	सुपुर्वी में विष् मने गोचरा	न्यूनताम लक्ष्य
1	2	3	4
33	भीमवा	895	1652
34	मलिनपुर	5160	9525
35	बालीन	2375	4384
36	लाली	2554	4715
37	महागजपुर	267	493
38	कुशीनगर	307	567
39	देवगिरा	417	770
40	गोरखपुर	155	286
41	भरौडी	883	1630
42	मुलानपुर	862	1591
43	बागवली	1978	3651
44	अम्बेडकर नगर	1110	2049
45	अयोध्या	1251	2309
46	सावली	586	1082
47	बनगावपुर	490	905
48	बहराइच	1882	3493
49	गौडा	1026	1894
50	हमीरपुर	4007	7397
51	महोबा	3362	6206
52	बौदा	3793	7002
53	बिचकूट	4215	7781
54	मिठार्यनगर	1285	2372
55	संत कबीर नगर	444	820
56	बरेली	857	1582
57	महाजहापुर	3948	7288
58	पीलीभीत	1962	3622
59	बदायू	3777	6972
60	बरेली	863	1593
61	प्रतापगढ़	1086	2005
62	कौशांबी	815	1504
63	फतेहपुर	979	1807
64	प्रयागराज	2760	5095
65	कायगंज	910	1680

क्रम संख्या	जनपद	सुपुईती में दिए गये शोबंश	न्यूनतम लक्ष्य
1	2	3	4
66	हाथरस	730	1348
67	गढ़ा	975	1800
68	अन्नीगढ़	2588	4777
69	मऊ	313	582
70	बलिया	469	866
71	आजमगढ़	1517	2800
72	मथुरा	1232	2274
73	मैनपुरी	885	1634
74	फिरोजाबाद	629	1161
75	आगरा	1001	1848
	महायोग	108337	200000

Signed by देवेन्द्र कुमार
पाण्डेय
(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
14:56:08
11/08/2019
पशुधन विभाग, उ०प०शासन।